

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]
No. 243]

दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2016/अग्रहायण 2, 1938
DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2016/AGRAHAYANA 2, 1938

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 238
[N.C.T.D. No. 238

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
अधिसूचना

दिल्ली, 22 नवम्बर, 2016

सं. एफ 7(1)/2016/डी.ई.एस./एस.ई./एमआई 4335-40.—सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठनीय सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 3 और 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एतद्वारा एक सांख्यिकी सर्वेक्षण के माध्यम से, जिसे आगे 'सेवा क्षेत्र का सर्वेक्षण' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठानों तथा संबंधित कार्यकलापों पर अधोलिखित अनुसूची-I में दिये गये विवरण के अनुसार आंकड़ें एकत्र करने का निर्देश देता है :-

2. आगे, उपराज्यपाल, उक्त निर्देश के सन्दर्भ में नीचे दी गई अनुसूची -2 में उल्लिखित व्यक्तियों और साथ ही कार्यालय में उनके प्रतिनिधियों को, उसमें दी गई भौगोलिक इकाइयों के सम्बन्ध में सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नामित करते हैं।
3. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्रत्येक सूचनादाता द्वारा प्रदत्त सूचना के सत्यापन, तत्संबंधी रिकार्डों के निरीक्षण और जैसा भी आवश्यक हो, स्पष्टीकरण मांगने के कार्य में लगाया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र अथवा प्राधिकार पत्र अपने साथ रखेगा।
4. अनुसूची-2.35 में सेवा क्षेत्र सर्वेक्षण के संबंध में सूचना प्रदाता द्वारा प्रदत्त किए गए आंकड़ों को विधिवत् सत्यापन और जांच के बाद अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत अधिकारियों द्वारा संसाधित किया जाएगा।

5. सेवा क्षेत्र के सर्वेक्षण से संबंधित किसी भी कार्यकलाप में लगे सभी व्यक्ति, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) और सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होंगे। इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धाराओं (4) या (6) के तहत किसी भी सांख्यिकी अधिकारी को कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

अनुसूची-1

1. **सांख्यिकी संग्रहण का विशय और प्रयोजन** :-सेवा क्षेत्र के सर्वेक्षण माध्यम से थोक एवं दुपहिया वाहनों की मरम्मत, परिवहन एवं भंडारण, निवास एवं खाद्य सेवा कार्यकलाप, सूचना एवं संचार, वित्तीय एवं बीमा कार्यकलाप (प्रभाग 65 सर्वेक्षण व्याप्ति से बाहर रहेगा), भूसंपत्ति कार्यकलाप, व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यकलाप, प्रशासनिक एवं सहायक सेवा कार्यकलाप, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य गतिविधियाँ, कला, मनोरंजन एवं मनोविनोद, अन्य सेवा कार्यकलाप (राजनीतिक संगठनों के कार्यकलाप - रा. औ . व . संकेतांक 9492 एवं व्यापारिक संगठनों के कार्यकलाप - रा. औ . व . संकेतांक 942 सर्वेक्षण व्याप्ति के बाहर रहेंगे), के बारे में आंकड़ें एकत्र किए जायेंगे।
2. **सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र** :-सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत सेवा क्षेत्र का सर्वेक्षण समस्त दिल्ली राज्य में आयोजित किया जाएगा।
3. **आंकड़ा संग्रहण की पद्धति** :-सांख्यिकी अधिकारी उसके कार्यक्षेत्र में आने वाले सूचनादाताओं को, सूचना देने की तारीख, जब जिसे सूचना दी जानी है उस अधिकारी अथवा कार्यालय का नाम, जिस प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठानों के बारे में सूचना दी जानी है, और वह प्रपत्र जिसमें सूचना दी जानी है, का उल्लेख करते हुए एक नोटिस जारी करेगा।
4. **सूचनादाताओं का स्वरूप जिनसे आंकड़े एकत्र किए जाने हैं** :-सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठान का मालिक अथवा दखलदार, जिसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा, प्रतिष्ठान के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा।
5. **सांख्यिकी अधिकारी** ऐसी अन्य शर्तों जिन्हें वह नोटिस में स्पष्ट करेगा, के अधीन मालिक अथवा दखलदार से एकल प्रबंधन के तहत उन दो अथवा अधिक प्रतिष्ठानों के बारे में समेकित सूचना उपलब्ध कराने को कह सकता है, जिनके बारे में प्रत्येक प्रतिष्ठान के अनुसार अलग-अलग सूचना उपलब्ध नहीं है।
6. **सांख्यिकी संग्रहण का कार्य पूरा करने की अवधि** :-प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तारीख नोटिस में उल्लिखित की जाएगी और यह आमतौर पर अक्टूबर, 2016 से जून, 2017 के बीच होगी।
7. **संदर्भ अवधि** :- प्रस्तुत की जाने वाली सूचना, 1 अप्रैल, 2015 से शुरू हुए और 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष अथवा प्रतिष्ठान के लेखांकन वर्ष, जो 1 अप्रैल, 2015 और 31 मार्च, 2016 के बीच किसी भी तारीख को समाप्त होता है, के बारे में होगी।
8. **एकत्र की जाने वाली सूचना की प्रकृति** :-अपेक्षित सूचना विशेष रूप से तैयार की गई अनुसूची-2.35 के द्वारा एकत्र की जाएगी। जांच अनुसूची में प्रतिष्ठान/उद्यम की पहचान विवरण, संदर्भ अवधि के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा किए गये कार्यकलाप, स्थायी एवं प्रचालन पूंजी संबंधी सूचना, परिसंपत्तियां और देनदारियां, रोजगार और श्रम लागत, प्राप्तियों, आय, व्यय, आगत, मर्दे, कर एवं आर्थिक सहायता, लेखांकन वर्ष के दौरान सकल मूल्य वृद्धि (वित्त क्षेत्र में संलग्न, व्यावसायों, एन पी आई एस एच एवं गैर-बाजार उत्पादन में संलग्न प्रतिष्ठानों को छोड़कर), प्रतिष्ठान द्वारा प्रयुक्त सूचना एवं संचार तकनीक, प्रतिष्ठान द्वारा सेवाओं के आयात एवं निर्यात के विवरणों को रखा गया है।
9. **भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना दी जानी है** :-सूचनादाता, निर्धारित प्रपत्र में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में सूचना उपलब्ध प्रदान कराएगा।
10. **सूचनादाता के दायित्व** :-प्रतिष्ठान का मालिक अथवा दखलदार सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में दिए गए तरीके से और तारीख तक सूचना उपलब्ध कराएगा। वह सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर अपेक्षित सूचना के सम्बन्ध में निरीक्षण के लिए तत्संबंधी रिकार्ड उपलब्ध कराएगा और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देगा।

11. निरीक्षण किये जाने वाले कारोबारी रिकार्ड और अन्य रिकार्डों की प्रकृति :- सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्रतिष्ठान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के समर्थन में उस प्रतिष्ठान के कारोबारी रिकार्ड जैसे कि बैलेंस शीट, लाभ तथा हानि खाता, मस्टर रोल, उपस्थिति रजिस्टर, श्रमिक रजिस्टर, पे-रोल, निर्देशक की रिपोर्ट अथवा अन्य कानूनी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकता है ।
12. निरीक्षण का तरीका :- संबंधित सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इकाई के कारोबारी रिकार्ड और अन्य रिकार्डों के आधार पर प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त सूचना का सत्यापन कर सकता है और प्रतिष्ठान के मालिक अथवा पदाधिकारी अथवा प्रबन्ध मंडल द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है ।

अनुसूची-2

क्रम संख्या	सांख्यिकी अधिकारी	कार्यक्षेत्र (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	पता
1	श्री राजिन्द्र प्रताप मेदिरत्ता सहायक निदेशक (एस. ई.), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, तृतीय तल, बी ब्लॉक, विकास भवन-2, अपर बेला रोड, सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एस. एन. सहाय, प्रधान सचिव (योजना)

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd November, 2016

No. F. 7(1)/2016/DES/SE/MI-4335-40.—In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby directs collection of statistics on Services Sector Establishments and related activities through a statistical survey, hereinafter referred to as 'Survey of Services Sector', as per the details mentioned in the Schedule-I given below:

- The Lieutenant Governor further appoints the person as [also his successor in office] mentioned in Schedule-II given below, as Statistics Officer in respect of geographical units mentioned thereof with reference to the aforesaid direction.
- The persons authorized by the concerned Statistics Officer would be engaged in the jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary. Each person would carry a photo identity card or a letter of authorization issued by the concerned Statistics Officer.
- The statistics collected in the schedule 2.35 in respect of the 'Survey of Services Sector' furnished by the informants, after due verification and scrutiny, will be processed by officials working at the Office of the Directorate of Economics and Statistics, Government of National Capital Territory of Delhi.
- All the persons engaged in any activity in respect of the Survey of Services Sector are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) and the Collection of Statistics Rules, 2011. No power has been delegated to any Statistics Officer under sub-sections (4) or (6) of Section 4 of the Act.

SCHEDULE-I**Subject and purpose for collection of statistics:**

7. Statistics relating to wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, transportation and storage, accommodation and food service activities, information and communication, financial and insurance activities (Division 65 will be excluded from the coverage of the survey), real estate activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, education, human health and social work activities, arts, entertainment and recreation, other service activities (activities of political organizations-NIC code 9492 and activities of trade unions- NIC code 942 will be excluded) will be collected through Survey of Services Sector.

Geographical area for collection of statistics:

2. The Survey of Services Sector will be conducted in the whole of National Capital Territory of Delhi, under the Collection of Statistics Act, 2008.

Method of data collection:

3. A Notice will be issued by the Statistics Officer to informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the establishment or establishments for which, and the formats in which information is required to be furnished.

Nature of informants for whom data may be collected:

4. The owner or occupier of a service sector establishment who would be issued notice by a Statistics Officer shall furnish information about the establishment.
5. A Statistics Officer may require an owner or occupier to furnish consolidated information in respect of two or more establishments under single management in case information is not separately available for individual establishment and subject to such other conditions, as he may specify, in the notice.

Period during which collection of statistics may be completed:

6. The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and it would generally fall during October 2016 to June 2017.

Reference period:

7. Information is required to be furnished for the Financial Year commencing from 1st April 2015 and ending on 31st March 2016 or for the Accounting Year of an establishment ending on any date between 1st April 2015 and 31st March, 2016.

Nature of information to be collected:

8. The information will be collected through specially designed schedule 2.35. The enquiry schedule contains identification particulars of the establishment/enterprise, activities undertaken by an establishment during reference period, information on fixed and working capital, assets and liabilities, employment and labour cost, receipts, expenses, input items, taxes and subsidies, Gross Value Added during accounting period (for establishment/enterprise other than financial sector, NPISH and other enterprises engaged in non-market production), use of ICT by the establishment/enterprise, particulars of import and export of services by the establishment/ enterprise.

Language in which information is to be furnished by informant:

9. An informant shall furnish information in the prescribed formats, either in Hindi or in English.

Obligation of informant:

10. An owner or occupier of an establishment shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorized by him.

Nature of business records and other records which may be inspected:

11. Business records of an establishment, such as balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance registers, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the establishment may be inspected by the Statistics Officer or a person authorized by him.

The manner of inspection:

12. The concerned Statistics Officer or a person authorized by him may verify the information furnished by an establishment on the basis of business records and other records of the establishment and seek clarifications from the concerned owner or occupier or a person authorized by the management of the establishment.

SCHEDULE-II

S. No.	Statistics Officer	Jurisdiction State/UT	Address
1.	Sh. Rajinder Pratap Madiratta, Assistant Director (SE), DES, Delhi	NCT of Delhi	Directorate of Economics & Statistics, 3 rd Floor, B wing, Vikas Bhawan-2, Upper Bela Road, Civil Lines, Delhi-110054

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

S. N. SAHAI, Pr. Secy. (Plg.)